राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(4)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 27.5.19

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई। श्री विरेन्द्र सिंह यादव, वरिष्ठ विधि अधिकारी (क्रम संख्या 15) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंसा को बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प.1(193)कार्मिक/क–3/जांच/2015 दिनांक 29.04.2019 से इस जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का आदेश जारी किया है।

श्री विरेन्द्र सिंह यादव, वरिष्ठ विधि अधिकारी के विरूद्ध उक्त विचाराधीन जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के बन्द लिफाफे को खोला गया तथा पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री यादव को वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.04.2016 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर सहायक विधि परामर्शी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री यादव की वरिष्ठता श्री सुनील कुमार गुप्ता के नीचे तथा श्री रमेश कुमार मालपानी के ऊपर रहेगी।

श्री विरेन्द्र सिंह यादव का सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान **PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000)** में दिनांक 01.04.2016 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण नोशनल आधार पर तथा कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा।

श्री विरेन्द्र सिंह यादव, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा का पदोन्नति पर सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय नगर निगम कोटा के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है तथा श्री यादव अपने पद के कार्य के साथ–साथ वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा के पद का कार्य भी सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री विरेन्द्र सिंह यादव, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव